संख्या-3/2025/001-288-77-2-2025-77-2099/21/2024-1/931128/2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय, उ०प्र०,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08-04-2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 (राजस्व लेखा) के लेखाशीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-अभिसूचना के स्रोतों का विकास-23-गुप्त सेवा व्यय मद में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के नियंत्रक अधिकारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन होंगे। उक्त धनराशि का आहरण कर भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या-37637394124 में हस्तान्तरित की जायेगी।

2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा गुप्त सेवा व्यय के देयकों का आहरण, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से डीडीओ कोड संख्या-2057 से किया जायेगा।

3. उक्त व्यय की सम्परीक्षा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा नहीं की जाती है, इसालिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि उक्त धनराशि का व्यय पूरी छानबीन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उपरान्त किया जाय। इस संबंध में धनराशि का आहरण तथा व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V भाग-1 के प्रस्तर-206 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सम्प्रेक्षा की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

4. इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखाशीर्षक 2052000900300 अभिसूचना के स्रोतों का विकास मानक मद 23 गुप्त सेवा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

<u>संख्या- 3/2025/001-288-77-2-2025-77-2099/21/2024-1/931128/2025</u> तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सचिव, उद्योग शाखा, उ0प्र0 शासन।

6- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।

7- अनु सचिव (लेखा), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-5

8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।